

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके पश्चात "होलिडिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) (होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों संलग्न की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और इस समय एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

- हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने ऊपर बताए हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।
- हम कंपनी पर महामारी कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू कंपनी के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 91.12% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती है। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुसरण में सृजित किए गए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंड (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित का सत्यापन।
2.	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन (लेखांकन नीति सं. 3.12 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर-भारतीय रूप नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्न को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रुमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्न पर बाजार लाभभ्रान्ति के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है। जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन-देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्न की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन व्युत्पन्न लेन-देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की है जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं (समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 के संदर्भ में) कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों की आर्थिक गतिविधि और अस्थिरता में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष और हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देश भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है। लॉकडाउन और महामारी के गंभीर फैलाव के परिदृश्य में, जहाँ तक भौतिक पहुंच प्रतिबंधित थी कंपनी ने दूर रहकर लेखापरीक्षा पूरा करने की सुविधा प्रदान की। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है: - हमें ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल/कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधनों के माध्यम से संवाद एवं विचार-विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। - नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। - महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। - हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वें सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। - यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग-अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल हैं, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

प्रबंधन और उनका दायित्व, जिन्हें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए शासन की जिम्मेदारी दी गई है

होलिडिंग कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी सहित इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल हैं, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में

उल्लेख किए गए अनुसार होल्टिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई

अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई होल्डिंग कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ-साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा **महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं,** के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

(क) हमने अनुषंगी कंपनियों तथा जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 के अनुसार ₹662.79 करोड़ (31 मार्च 2020 के अनुसार ₹570.19 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹184.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹222.17 करोड़) के कुल राजस्व और ₹-0.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.63 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, ₹25.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹66.91 करोड़) तथा कुल व्यापक आय ₹25.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹66.91 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचार किए गए अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए ₹-1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.14 करोड़) के कर पश्चात निवल लाभ और ₹-0.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.08 करोड़) की कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का शेयर भी शामिल है। वित्तीय सूचना हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक इसका संबंध राशियों और खुलासों जिसे संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के मामले में शामिल किया गया है, से संबंधित हो और साथ ही इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और उप धारा (11) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध ऊपर में उल्लेख किए गए संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी से संबंधित हो, मुख्य रूप से ऐसी वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में शामिल किए गए निवल लाभ और कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का हिस्सा और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रेषित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।
- (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।
- (छ) समूह का समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, **"अनुबंध-क"** में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा
- (ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।
- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर;
- (i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 47.1 के संदर्भ में;
- (ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के व्युत्पन्न ढेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ढेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;
- (iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 099387
यूडीआईएन : 21099387एएएईए8358

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीआर5923

आरईसी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होलिडिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

- (3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2021 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों के आधार पर है।

वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जहां तक इसका संबंध संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से हो जो भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, की समुचितता और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट तथा इस समूह की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचितता और कार्यचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के बारे में हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित इस कंपनी के बारे में शामिल किए गए समूह के निवल लाभ का हिस्सा (जिसमें व्यापक आय शामिल है) और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 099387
यूडीआईएन : 21099387एएएईए8358

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीआर5923